न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 71/2019

ऑनलाईन नम्बर : 2019/00125 निर्णय दिनांकः 27.8.21

1.दयालसिंह 2. रघुवीर सिंह 3. रणजीत सिंह 4. सायरसिंह पुत्रगण स्व. मोहनसिंह 5. राजकंवर पत्नी स्व. मोहनसिंह 6. नारायण सिंह 7. मगनसिंह पुत्रगण स्व. कल्याणसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण पून्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

– वादीगण –

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण –

2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र ~~स्व.~~ मोहनसिंह
3. पदमसिंह पुत्र ~~स्व. कल्याणसिंह~~ जातिगण राजपुत निवासीगण पून्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

– गौण प्रतिवादीगण –

उपस्थितिः–

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम व धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

यह वाद दयाल सिंह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 6.07 हैक्टेयर वाकेरोही पून्दलसर में स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 508/70 कुल तादादी 58 बीघा 19 बिस्वा की रही है। उक्त खसरा भूमि में से पश्चिमी तरफ की 24 बीघा भूमि वादी सं. 1 ता 5 के पिता/पति मोहनसिंह व वादी सं. 6 व 7 के पिता कल्याणसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.1983 को खरीद की थी। उक्त विक्रय पत्र में विक्रय की गई भूमि के आसे पासे भी दर्ज किए गये थे जिसके आधार पर ही वादीगण के पूर्वजों ने मौके पर कब्जा प्राप्त किया था तथा वादीगण भी उसी अनुसार आज भी मौके पर काबिज चले आ रहे है। बादीगण के खसरा नम्बर 508/70 के वर्तमान खसरा नम्बर 80 के उतर में कालान्तर में खसरा नम्वर 507/70 वर्तमान खसरा नम्बर 79 दक्षिण में पुराने खसरा नम्बर 64,65 वर्तमान खसरा नम्बर 74,796/73, पूर्व में पुराना खसरा नम्बर 508/70 की शेष भूमि व पश्चिम मे पुराना खसरा नम्बर 65,69 वर्तमान खसरा नम्बर 74,78 कायम चले आ रहे है। बादीगण का खेत लगभग आयताकार सीमा का है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अक्स में पूर्वी से पश्चिम लम्बाई में दर्शित किया गया है जो मौका स्थिति के अनुसार नही हैं । वादीगण के खेत के पूर्वी खसरा नम्बर 82 की सीमा मौके पर नही लगती हैं। यह है कि पुराने खसरा नम्बर 508/70 में (नये खसरा नम्बर 80 तादादी 6.07 हैक्टेयर) वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है जिस पर वादीगण का विक्रय पत्र के अनुसार प्राप्त कब्जे अनुसार आज तक साधिकार काबिज चले आ रहे है। यह है कि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण ने सहमति से अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का खाता भूमि का विभाजन करवाने हेतु राजस्व दस्तावेज जमाबंदी, नक्शा आदि का प्रमाणित प्रति दिनांक 17.07.2019 को हल्का पटवारी से प्राप्त की तथा हल्का पटवारी से अपना खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर करवाने की बात कर राजस्व नक्शे का अवलोकन किया तो यह प्रथम बार जानकारी हुई कि वादीगण का राजस्व नक्शा वादीगण के कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

काश्त (विक्रय पत्र) के अनुसार नहीं है इस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया कि राजस्व नक्शा में वादीगण के खेत की खातेदारी सीमाये मौका कब्जा अनुसार दुरूस्त कर राजस्व अक्स में तरमीम कर देवें तो प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तभी हम नक्शा अक्स में तरमीम करेंगें। यही दावे का हेतु है तथा दावे का आधार वादगत खसरान की खातेदारी भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चले आने से प्राप्त है। यह है कि वादीगण गलत राजस्व रिकार्ड अक्स में तरमीम होने का कारण अपनी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन नहीं करवा पा रहे है। वादीगण की खातेदारी भूमि का कब्जा विक्रय पत्र अनुसार मौके पर लगातार रूप से चला आ रहा है परन्तु मौका स्थिति राजस्व अक्स के अनुसार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर बिना वादीगण को सुनवाई किए राजस्व अक्स में वादीगण का खेत मौका अनुसार तरमीम किया गया है तथा अब प्रतिवादी अपनी गलती को बेवजह सही ठहराने पर आमादा है । वादीगण के पास न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर राजस्व अक्स में दुरूस्ती करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादीगण अपनी खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 80 के राजस्व अक्श में तरमीम करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है जिसके लिए यह दावा दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है और जिसमें स्टेट को 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु वादीगण शीघ्र अपनी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है परन्तु राजस्व अक्श में गलत तरमीम की वजह से तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजस्व अक्स में मौका कब्जा व विक्रय पत्र के अनुसार दुरूस्ती करने से इन्कार करने के कारण अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी व वादीगण को न्याय नहीं मिल पायेगा। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की आज्ञा से दावा पेश किया गया है। यह है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 80 के गौण प्रतिवादीगण वादीगण के सहखातेदार है जिनको आवश्यक पक्षकार होने के कारणा गौण प्रतिवादी संख्या 2व 3 को पक्षकार संयोजित किया गया है जिनके हितों के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। यह है कि वादगत खसरा भूमि रोही पून्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावेः—

(क) कि प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध डिक्री पारित कर यह आदेशित किया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 6.07 हैक्टेयर वाकेरोही पून्दलसर के राजस्व अक्स में मौका कब्जा (विक्रय पत्र दिनांक 10.02.1983) के अनुसार वर्तमान राजस्व अक्स में तरमीम कर राजस्व अक्स की तरमीम की जाकर राजस्व अक्स मे अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि खसरा नम्बर 80 के सम्बन्ध में तरमीम किए गये राजस्व अक्श को वादीगण की खातेदारी भूमि का भाग घोषित कर खसरा नम्बर 80 का नया अक्श पैमूद कर घोषित किया जावें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बावजूद रजिस्ट्रर्ड एडी सम्मन तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की और से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। पैरोकारराज ने अपने जवाब में अवगत करवाया है कि वादी का खसरा नम्बर 80 का अक्स तरमीम मौका कब्जा अनुसार प्रस्तावति अक्स के शुद्धि किया जाना उचित है। बहस सुनी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने एवं वादी दावा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

<u>निर्णय</u>

खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 6.07 हैक्टेयर रोह पुन्दलसर का अकस तरमीम मौका कब्जा अनुसार की जाकर राजस्व अकस में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व अकस/रिकार्ड में अंकन करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)